

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 169/2017

दायर दिनांक: 21/11/2017

उनवान

1. अशोक कुमार आयु 50 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति बैरागी
2. सोनू आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली पिता अशोक जाति बैरागी
3. राहुल आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये वली पिता अशोक जाति बैरागी निवासीगण केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां
4. निर्मला बाई आयु 48 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नी रामकिशन जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी आखाखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज०
5. सावित्री बाई आयु 45 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नी राजेन्द्र जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी श्यामगढ़ तह० जिला मन्दसौर म०प्र०
6. गायत्री बाई आयु 42 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नी कुन्जबिहारी जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी सोड़लहेडी पोस्ट हाथीदिलोद तहसील अटरू जिला बारां राज०

वादीगण

बनाम

1. बृजमोहन आयु 55 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी c/o सुरेश बैरागी पुत्र प्रभूलाल पटरी के पार नीलकंठ कॉलोनी बरडिया अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां राज०।
2. जनताबाई आयु 52 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नी धनराज जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी रातडिया पोस्ट बालाखेडा तहसील अन्ता जिला बारां राज०।
3. बद्रीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति बैरागी
4. मोरध्वज आयु 48 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति बैरागी निवासीगण केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां
5. शाखा प्रबंधक महोदय एच.के.जी.बी. शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज०।



6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनांक: 27.02.2025

वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल सरसोदिया पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू में खाता संख्या 74 के ख0नं0 217 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 264 का रकबा 2.02 है0, कुल कित्ता 2 का रकबा 2.27 है0 आराजी के संबंध में निर्णय दिनांक 26.07.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी अनुसार विभाजन कर खाता पृथक-पृथक दर्ज किये जाने के आदेश कर तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/3625 दिनांक 13.12.2024 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादीगण सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2021 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 74 के ख0नं0 217 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 264 का रकबा 2.02 है0, कुल कित्ता 2 का रकबा 2.27 है0 आराजी का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

नया खाता-1

1. अशोक कुमार पुत्र, सावित्री बाई, जनता बाई, निर्मला बाई, गायत्री बाई पुत्रियाँ, जमना बाई पत्नी अमरलाल हिस्सा 6/21 जाति बैरागी सा0 केरवालिया

क्र०सं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1	217	0.07 है०	बारानी तृतीय	0.2625
2	264	0.57 है०	बारानी तृतीय	2.1375
कुल किता 2		0.64 है०	—	2.4000

नया खाता-2

1. बृजमोहन पुत्र अमरलाल हिस्सा 1/21
2. बद्रीलाल व मोरध्वज पुत्रान राधेश्याम हिस्सा 1/3
3. ना०बा० राहुल, ना०बा० सोनू कुमार पुत्रान अशोक कुमार हिस्सा 1/3 जाति बैरागी सा० केरवालिया

क्र०सं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1	217	0.18 है०	बारानी तृतीय	0.675
2	264	1.45 है०	बारानी तृतीय	5.4475
कुल किता 2		1.63 है०	—	6.1225

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण विभाजन उपरान्त एक दूसरे के हक व हिस्से की भूमि पर दखलंदाजी न करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 169/2017

उनवान

1. अशोक कुमार आयु 50 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति बैरागी
2. सोनू आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली पिता अशोक जाति बैरागी
3. राहुल आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये वली पिता अशोक जाति बैरागी निवासीगण केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां
4. निर्मला बाई आयु 48 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नी रामकिशन जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी आखाखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0
5. सावित्री बाई आयु 45 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नी राजेन्द्र जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी श्यामगढ़ तह0 जिला मन्दसौर म0प्र0
6. गायत्री बाई आयु 42 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नी कुन्जबिहारी जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी सोडलहेडी पोस्ट हाथीदिलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1. बृजमोहन आयु 55 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी c/o सुरेश बैरागी पुत्र प्रभूलाल पटरी के पार नीलकंठ कॉलोनी बरडिया अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां राज0 ।
2. जनताबाई आयु 52 वर्ष पुत्री अमरलाल पत्नी धनराज जाति बैरागी निवासी केरवालिया हाल निवासी रातडिया पोस्ट बालाखेडा तहसील अन्ता जिला बारां राज0 ।
3. बद्रीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति बैरागी
4. मोरध्वज आयु 48 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति बैरागी निवासीगण केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां
5. शाखा प्रबंधक महोदय एच.के.जी.बी. शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।
6. राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर ।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2021 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां मे खाता संख्या 74 के ख0नं0 217 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 264 का रकबा 2.02 है0, कुल किता 2 का रकबा 2.27 है0 आराजी का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

नया खाता-1

1. अशोक कुमार पुत्र, सावित्री बाई, जनता बाई, निर्मला बाई, गायत्री बाई पुत्रियाँ जमना बाई पत्नी अमरलाल हिस्सा 6/21 जाति बैरागी सा0 केरवालिया

क्र०सं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1	217	0.07 है०	बारानी तृतीय	0.2625
2	264	0.57 है०	बारानी तृतीय	2.1375
कुल किता 2		0.64 है०	—	2.4000

नया खाता-2

1. बृजमोहन पुत्र अमरलाल हिस्सा 1/21
2. बंद्रीलाल व मोरध्वज पुत्रान राधेश्याम हिस्सा 1/3
3. ना०बा० राहुल, ना०बा० सोनू कुमार पुत्रान अशोक कुमार हिस्सा 1/3 जाति बैरागी सा० केरवालिया

क्र०सं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1	217	0.18 है०	बारानी तृतीय	0.675
2	264	1.45 है०	बारानी तृतीय	5.4475
कुल किता 2		1.63 है०	—	6.1225

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण विभाजन उपरान्त एक दूसरे के हक व हिस्से की भूमि पर दखलंदाजी न करें। तहसीलदार अट्रू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अट्रू जिला बारां (राज०)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.02.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अट्रू जिला बारां (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत०
महन्ताना वकील	मुत०	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अट्रू जिला बारां (राज०)